राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

एफ.15( ) पंरावि/विधि/पंस0पुनर्गठन/सीकर/2015/1126 जयपुर, दिनांकः–10.9.2018

::अधिसूचना::

ग्राम पंचायत, दयाल की नांगल, पंचायत समिति, पाटन, ज़िला सीकर को पंचायत समिति, नीम का थाना में सम्मिलित किये जाने हेतु अभ्यावेदन प्राप्त होने पर, विभागीय अधिसूचना संख्या एफ. 15( )पंरावि/विधि/पंस0पुनर्गठन/2015/452 दिनांक 12.04.2018 के द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सख्या 13) की धारा–98 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा–101 में वर्णित शक्तियों को राज्य सरकार द्वारा ज़िला कलेक्टर, सीकर को ग्राम पंचायत, दयाल की नांगल को पंचायत समिति, पाटन से पंचायत समिति, नीम का थाना में परिवर्तन सम्बन्धी 30 दिवस का नोटिस सार्वजनिक अवलोकनार्थ प्रसारित कर आपत्तियां आमंत्रित करने एवं उन पर सुनवाई करने के उपरान्त अपनी अभिशंषा सहित प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु अधिकृत किया गया था।

ज़िला कलेक्टर, सीकर द्वारा उपर्युक्त कार्रवाई किये जाने के पश्चात् उनके द्वारा प्रेषित अभिशंषा का परीक्षण कर, राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत, दयाल की नांगल को पंचायत समिति, पाटन से पृथक कर, पंचायत समिति, नीम का थाना ज़िला सीकर में सम्मिलित किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,
10/9/2018
(विष्णु कुमार गोयल)
संयुक्त शासन सचिव (विधि)

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, मंत्री, ग्रा0 वि0 एवं पं0 राज, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, राज्य मंत्री, ग्रा0 वि0 एवं पं0 राज, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, ग्रा0 वि0 एवं पं0 राज, राजस्थान, जयपुर।
4. शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. संभागीय आयुक्त, जयपुर।
6. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
7. जिला कलेक्टर, सीकर ।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सीकर ।
9. अधीक्षक, राजकीय केन्दीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित है।
10. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पाटन/नीम का थाना, सीकर।
11. एसीपी, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाये जाने हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

अति0 प्रशासनिक अधिकारी 10/9/18